

***मीरजापुर पुलिस ***

प्रेस नोट

दिनांक: 15.09.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 1.683 किग्रा पीली धातु बरामद—

थाना विंध्याचल, जनपद मीरजापुर पर आज दिनांक-15.09.2022 को वादी ओम प्रकाश उर्फ दीपक यादव पुत्र अमृलाल यादव निवासी अघौली थाना को देहात मीरजापुर द्वारा लिखित बावत नकली सोने की नंदी बैल की मूर्ती धोखाधड़ी से बेचकर वादी का ₹ 1.5 लाख हड़प लेने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना विंध्याचल पर मु0अ0सं0-175/22, धारा-406, 420 भादवी बनाम भगवान दास व 07 अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल को निर्देश दिया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 15.09.2022 को उ0नि0 रवीकांत मिश्रा चौकी प्रभारी गैपुरा मय पुलिस बल द्वारा प्राप्त मुखबीर की सूचना के आधार पर विंध्याचल क्षेत्र से 02 व्यक्तियों 1-भगवादास बिंद पुत्र कमला शंकर बिंद, 2-अजय बिंद पुत्र स्व0 रामराज बिंद निवासी गण बोलीपुर थाना विंध्याचल मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 04 अदद पीले धातु का गोलाकार वस्तु वजन करीब 568 ग्राम तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अदद पीले धातु की नंदी की मूर्ती वजन करीब 1.115 किग्रा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया की उनका एक 7-8 सदस्यीय ग्रुप है जो नकली सोने की मूर्ती, गिल्लियां, कछुआ लोगों को दिखाकर असली सोने का होने का भ्रम पैदा कर रूपया पैसा ले लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1-भगवादास बिंद पुत्र कमला शंकर बिंद निवासी बोलीपुर थाना विंध्याचल मीरजापुर।

2-अजय बिंद पुत्र स्व0 रामराज बिंद निवासी बोलीपुर थाना विंध्याचल मीरजापुर।

बरामदगी विवरण—

1.04 अदद पीले धातु का गोलाकार वस्तु।

2. 01 अदद पीले धातु की नंदी की मूर्ती।

3. ₹ 22 हजार नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 रवीकांत मिश्रा चौकी प्रभारी गैपुरा थाना विंध्याचल मीरजापुर।

